लाड़ली योजना के अंतर्गत आवेदन भरने के लिए दिशाा निर्देश

1. *यह आवेदन पत्र **केवल काले अथवा नीले बॉल पेन** से भरे जायेंगे*

2. *पहचान संख्या/* **पद छवण** *केवल कार्यालय द्वारा भरा जायेगा*

3. *आवेदन पत्र में पहचान संख्या/* **पद छवण** *के लिए 10 खाने बने हुए हैं **पहले 2 खानों** को भरने के लिए केवल **विधान सभा** के **क्षेत्र संख्या** भरी जायेगी जिनका विवरण निम्न हैः -*

विधानसभा क्षेत्र संख्या	विधायक का नाम	विधानसभा क्षेत्र संख्या	विधायक का नाम
1	श्री अशाोक आहुजा	36	श्री रामवीर सिंह विघूडी
2	श्रीमती ाीला दीक्षित	37	श्री ब्रह्मपाल
3	श्रीमती तेजदार बब्बर	38	श्री अमरीशा गौतम
4	श्री सुशाील चौधरी	39	श्रीमती मीरा भारद्वाज
5	श्री टी एस मारवाह	40	डा0 ए के वालिया
6	श्री परवेज हाशामी	41	श्री अरविन्द सिह लवली
7	श्री सुभाश चौपड़ा	42	डा0 हर्श वर्द्धन
8	श्री योगानन्द ाास्त्री	43	श्री नसीव सिंह
9	श्रीमती किरण वालिया	44	डा0 नरेन्द्र नाथ
10	श्रीमती वरखा सिंह	45	श्री वीर सिंह
11	श्रीमती करण सिंह तवंर	46	श्री वलजोर सिंह
12	श्री जगदीशा मुखी	47	श्री राम बाबू ार्मा
13	श्री एच एस बल्ली	48	श्री विनय ार्मा
14	श्री ओ पी बबर	49	चौधरी मतीन अहमद
15	श्री रमेशा लाम्बा	50	श्री भीश्म ार्मा
16	श्री एम आर गंवाल	51	श्री एस एस चौहान
17	श्री अनिल भारद्वाज	52	श्री एम एस बिश्ट
18	श्री एस सी वत्स	53	श्री मांगे राम गर्ग
19	श्री रविन्द्र नाथ	54	श्री चरण सिंह खंडेरा
20	श्री जय भगवान	55	श्री जिले सिंह चौहान
21	श्री कुलवंत राना	56	श्री मंगत राम सिंघल
22	श्री सुरेन्द्र कुमार	57	श्रीमती अंजलि राय
23	श्री जय किशान	58	श्री सोएब इक्बाल
24	श्री आर के चौहान	59	श्री हारून यूसुफ
25	श्री विजेन्द्र सिंह	60	श्री पी एस साहिनी
26	श्री डी के चंदेला	61	श्री सुरेन्द्र सिंह बिट्टू
27	श्री मुकेशा ार्मा	62	श्री कंवर करण सिंह
28	श्री रणवीर खर्ब	63	श्री ादी राम
29	श्री महावल मिश्रा	64	श्री राजेशा जैन
30	श्री धर्मदेव सोलंकी	65	श्री सुभाश सचदेवा
31	श्री विजय लोचव	66	श्री रामा कांत गोस्वामी
32	श्री बी एस तंवर	67	श्री पूरण चंद योगी
33	श्री विजय जौली	68	श्री एस पी रतावाल
34	चौधरी प्रेम सिंह	69	श्री एम एल सोढ़ी
35	श्री रमेशा विघूड़ी	70	श्री राजेशा लोथिया

4ण उसके **अगले तीसरे एक खानें** में **जिले का कोड** भरा जायेगी जिलों के **निम्नलिखित कोड निर्धारित** किए गए हैं-

जिला	कोड संख्या
केन्द्रीय	0
उत्तर	1
उत्तर-पूर्व	2
पूर्व	3
दक्षिण	4
दक्षिण-पशिचम	5
पशिचम	6
उत्तर-पशिचम-1	7
उत्तर-पशिचम-2	8
नई दिल्ली	9

5. पहचान संख्या/प्क छवण भरने के लिए निम्न उदाहरण का प्रयोग करेंगे-

उदाहणार्थ यदि कोई आवेदन कर्ता बालिका) दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती ीला दीक्षित के विधानसभा क्षेत्र 02) की निवासी है एवं जिला नई दिल्ली 9) है तो पहले तीन खानों को निम्न प्रकार से भरा जायेगा-

विधान सभा क्षेत्र 02

जिला नई दिल्ली 9

यदि आवेदनकर्ता पंजीकरण के कम में अथवा कम्प्यूटर में 123 नम्वर पर आता है तो खाने निम्न प्रकार से भरे जायेंगे-

0	2	9	0	0	0	0	1	2	3

विधानसभा क्षेत्र जिला आवेदनकर्ता की कम संख्या

स्पश्टीकरण- जैसे-जैसे कम संख्या बढ़ते जायेगी हर जिले में 99 लाख तक आवेदनकर्ता समायोजित किये जा सकेंगे। आवेदकों की संख्या अधिक बढ़ने पर आवेदन पत्र संशाोधित किए जायेंगे ।

6. इस योजना में आवेदनकर्ता जिसकी **बालिका** का **जन्म 01 जनवरी, 2008 के बाद** हुआ है उसे तथा वे **बालिकाएं जो वर्श 2008-09 में कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 वीं में प्रवेशा लेने हैं, 10वीं पास करते हैं एवं 12 वीं में प्रवेशा करने पर लाभ उठा सकेगी ।**
7. आवेदनकर्ता के माता एवं पिता की **पारिवारिक आय एक लाख** से कम हो तब ही वे आवेदन करने के **योग्य** होंगे ।
8. लाड़ली योजना में आवेदन **केवल 2 ही पुत्रियों** तक सीमित है ।
9. प्रार्थना पत्र लड़की के जन्म तिथि के एक वर्श के तथा विघालय में दाखिला लेने के बाद 90

दिन के अन्दर जमा कराना होगा, अन्यथा विचार नहीं किया जायेगा ।

10. बच्ची के जन्म के पंजीकरण के समय सरकार की ओर से पहली बार 10 हजार रू0 बैंक खाते में बच्ची के नाम जमा करवाया जायेगा उसके उपरांत कक्षा एक में प्रवेश पर 5 हजार, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5 हजार, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5 हजार, कक्षा 10 पास करने के उपरांत 5 हजार तथा कक्षा 12 में पवेश करने पर 5 हजार रूपए इस प्रकार से कुल मिलाकर 35 हजार रूपए बनते हैं जो लड़की के 18 साल पूरे होने पशचात् लगभग 1,00,000/- बनता है ।

11. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित **दस्तावेज/सत्यापित फोटोकॉपी** संलग्न करना आवशयक है-

i. आवेदन से पूर्व **दिल्ली में रहने का तीन वर्श** का प्रमाण पत्र **जैसे- वोटर पहचान पत्र, बिजली का बिल, राशान कार्ड** की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ लगाने होंगे

ii. पुत्री के **जन्म तिथि का प्रमाण पत्र** रजिस्टार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी प्रमाण पत्र) की सत्यापति प्रति

iii. यदि माता कोई व्यवसाय नहीं करती है तो केवल एक ही ापथ पत्र से काम चल जायेगा बशार्ते कि यदि माता घरेलू महिला है तो पिता द्वारा दिए गए ापथ पत्र में यह घोशित करना होगा कि माता घरेलू महिला है और इसकी कोई अन्य आय नहीं है ।

iv. यदि आवेदनकर्ता किसी सरकारी/निजी संस्था में कार्यरत् है तो उस संस्था से जारी आय प्रमाण पत्र भी ापथ पत्र के साथ लगा होना चाहिए ।

v. बालिका यदि जन्म के बाद के स्तर पर इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो **माता-पिता के साथ सत्यापित फोटोग्राफ** के साथ-साथ जिस भी संबंधित कक्षा में प्रवेश/पढ़ती हो उस कक्षा के लिए बने हुए खाने में उसका सत्यापित फोटो चिपकाएं तथा **विघालय** से संबंधित कक्षा में **प्रवेश का प्रमाण पत्र** ले कर **संलग्न करें** ।

vi. कार्यालय द्वारा समय-समय पर जिस भी स्तर पर आवेदनकर्ता इस योजना में प्रवेश करता है जांच व स्वीकृति होनी है जिसके लिए 6 लाइनों का प्रावधान किया गया है । सबसे पहले जन्म के समय पर इस योजना में भाग लेने वाले के लिए उसके पशचात् भिन्न-भिन्न कक्षाओं में प्रवेश **नवीनीकरण** के समय **पुनर्निवेश हेतु स्वीकृति होनी है** तथा स्वीकृति आदेश संख्या लिखी जानी है ।

11. **माननीय मुख्यमंत्री को 07 मार्च को अंतर्राश्टीय महिला दिवस के दिन तक 01.01.08 के पशचात् पैदा हुई बालिकाओं के फार्मों की प्रगति रिपोर्ट दी जानी है । अतः 5 मार्च तक अधिक से अधिक फार्म भरवा कर अपने संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करने हैं ।**

,,,,,,,